जो भावना व्यक्त हुई है उसका प्रतिबिम्ब आपको रास्तों पर, मैदानों पर, मिलेगा इसलिए हमारा कहना है कि आप जो भी कदम उठायें उसमें मजदूरों के हकों पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मजदूरों के हकों का सदैव ख्याल रखेंगे।

Difficulties faced by Haj Pilgrims

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी (दिल्ली): डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मैं आपकी मारफत भारत सरकार की तवज्जह दिल्ली में और पूरे हिन्दुस्तान में हज यात्रियों को जो दिक्कतें उठानी पड़ी हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस मरतबा हज कमेटी की न किसी की वजह से और सेन्ट्रल हज कमेटी, दिल्ली स्टेट हज कमेटी और यू० पी० हज कमेटी की करबरदगी और लापरवाही की वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं। हालत यह है कि जिन हाजियों के कुरे लौट में निकले थे उनको एक हफ्ते तक दिल्ली में ही रहना पड़ा और जब वे दिल्ली पहुंचे तो फ्लाइट के वक्त न तो उनके पास टिकट था और न ही उनको पासपोर्ट दिया गया। उसका नतीजा यह निकला कि जिन फ्लाइट्स में चार सौ और साढ़े चार सौ आदमी जाने चाहिए थे उनमें सिर्फ 19 और 51 आदमी जा सके। इससे लोगों में गम और गुस्सा है। इसकी वजह से लोगों ने दिल्ली हज कमेटी पर हमला किया और पुलिस वालों ने लोगों को पीटा और बाहर निकाल दिया। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली हज कमेटी को इतना नाकिस इंतजाम था कि लोगों के रहने के लिए जो जगह बनाई गई थी जिसके लिए सेन्ट्रल हज कमेटी रुपया देती है और हाजियों के साथ आने वालों से भी 30 रुपया फी आदमी लिया गया था, लेकिन वहां पर न तो पानी को रोकने का इंतजाम था और न ही लेटने को इंतजाम था जिसकी वजह से लोगों को पानी और गन्दगी में रहना पड़ा, पेड़ों के नीचे रहना पड़ा, सड़कों पर रहना पड़ा। इससे लोगों के अन्दर बहुत बड़ा गम और गुस्सा है।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जिन लोगों के नाम लौट में निकले थे उनको न भेजकर दूसरों को भेजा गया। इसकी शिकायत लोगों ने वजारते खारिजा के पास भी करी। मैं चाहता हूं कि इस मसलबे की तहकीकात की जानी चाहिए और दिल्ली स्टेट हज कमेटी और सेन्ट्रल हज कमेटी को तोड़ा जाए और आयन्दा के लिए सरकारी अफसरों को जिम्मेदारी दी जाए कि वे वक्त पर पूरी सहूलियतें और सहयोग दें। आखिर में मैं वजी रेखा रजा को और हिन्दुस्तान की सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मामले की नजाकत को समझा और हज कमेटी के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि हमारी हुकूमत के कहने पर सऊदी हुकूमत ने उन 400–450 हाजियों को वक्त गुजरने के बाद भी लेना मंजूर किया। इसके लिये मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूं। लेकिन आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी की चन्द अफराद पर मोनोपोली है। मिसाल के तौर पर दिल्ली हज कमेटी के अन्दर 105 आदमी हैं। लेकिन मोनोपोली 11–12 आदमियों की है। मैं भी दिल्ली हज कमेटी का मेम्बर हूं लेकिन आज तक मेरे पास कोई इत्तला कभी नहीं आई कि हज के लिये ये इंतजामात करने है। मेरा मतालबा यह कि आयंदा के लिये जो हज कमेटी बने, अब हज कमेटी का काम क्योंकि अब यह हवाई जहाज के जरिये हाजियों का जाना शुरू हो गया है इसलिये इसके अन्दर हमारी मिनिस्ट्री के अफराद, होम मिनिस्ट्री का आदमी, सिविल एविएशन का आदमी उसके अन्दर हों। इसी तरीके से वजीरे खारजा का आदमी उसके अन्दर हो ताकि अगर कोई ऐसी परेशानियां और दिक्कतें आयें तो उनको फौरन हल किया जा सके। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

†[شری شمیم احمد صدیقی (دہلی) : ڈپٹی چیئرمین صاحبہ، میں آپ
کی معرفت بھارتیہ سرکار کی توجہ دہلی میں اور پورے ہندوستان
میں حج یاتریوں کو جو دقتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، ان کی طرف دلانا
چاہتا ہوں۔ [illegible]

[illegible]

[illegible]

آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔]

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं इनका समर्थन करता हूं । हज के लिये जाने वालों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उनको तकलीफें हुई यह बहुत अहम बात है । यह नहीं होना चाहिये और माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मीर्जा ईर्शादबेग (गुजरात) : उपसभापति महोदया, जिस बात को शमीम अहमद सिद्दकी साहब ने यहां पर उठाया है मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं । इसके पहले भी इस बात की चर्चा इस सदन में हो चुकी है । मान्यवर, जब कुर्रा समय पर हो जाता है तो पता लग जाता है कि कितने लोगों को पहुंचना है । लेकिन हज कमेटी की ओर से उन लोगों को जो सूचना जानी चाहिये वह ऐन वक्त पर सुनाई जाती है और इससे गड़बड़ी हो जाती है और वे लोग समय पर नहीं पहुंच पाते लेकिन इस वक्त जो इंतजाम हुये मेरी समझ में यह नहीं आता कि पहले से हाजियों की संख्या तय होती है । जाने वाले जो व्यक्ति होते है वे तय होते हैं । लेकिन इसके बावजूद उनको समय पर न बुलावा दिया जाता है और जो कार्यवाही उनकी पहले होनी चाहिये वह कार्यवाही नहीं की जाती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस बात की तहकीकात करे कि गड़बड़ी का क्या कारण है और इन कारणों को किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है । मैं यह भी कहना चाहूंगा और महोदया आप उस वक्त सदन में

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

मौजूद थीं जब इस बात को उठाया गया था, हज कमेटी के मामले को उठाया गया था । इसमें बहुत कमियां हैं इसके बारे में पूरे सदन ने एक आवाज में कहा था कि इसके बारे में जो दिक्कतें पेश आती हैं और जो मेमोरेंडम सरकार के पास है सरकार को उसके ऊपर तवज्जह देकर उसको निपटाने की कोशिश करनी चाहिये उनको टिकट में, फेयर में जो कंसेशन दिया जाता है वह नहीं दिया जाता है ? इसका कोटा बढाने के बारे में अभी सऊदी अम्बेसडर ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि हमने अपनी ओर से कोई पाबन्दी नहीं लगाई है । इस लिये मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो कोटा बढ़ाने की बात है उस दिशा में जो भी गलतियां इस वक्त हुई है उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाय ।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : शमीम अहमद सिद्दकी जी ने जो स्पेशल मैंशन किया है उसकी मैं भरपूर ताईद करता हूं । मुसलमान एक मुकद्दस फरीजा अदा करने के लिये हज को जाता है । जब वह हज को जाता है तो पूरी सहूलियतें उनको देना हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत की ओर से यह काम खासतौर पर सेंट्रल हज कमेटी करती है । यह सेंट्रल हज कमेटी का फर्ज है कि हाजियों के लिये वह पूरा इंतजाम करें, उनको पूरी तरह से सहूलियतें दे । मगर अफसोस की बात है है कि इस साल यह देखा गया है कि सेंट्रल हज कमेटी अपने फरायज में नाकाम रही है । उसे जो सहूलियतें हाजियों को पहुंचानी चाहिये थीं, वे सहूलियतें सेंट्रल हज कमेटी नहीं पहुंचा पाई है । हाजियों को आमद रफत और सऊदी अरब में कयामो-तआम के ताल्लुक जितनी भी सहूलियतें हज कमेटी को पहुंचानी चाहिये थी, सेंट्रल हज कमेटी उसमें नाकाम रही है । मेरी हुकूमत हिन्द से दरख्वास्त है कि वह इस मामले को सीरियसली ले और सेंट्रल हज कमेटी से तफसील मांगे ताकि आइंदा इस तरह की गलतियां न होने पायें ।

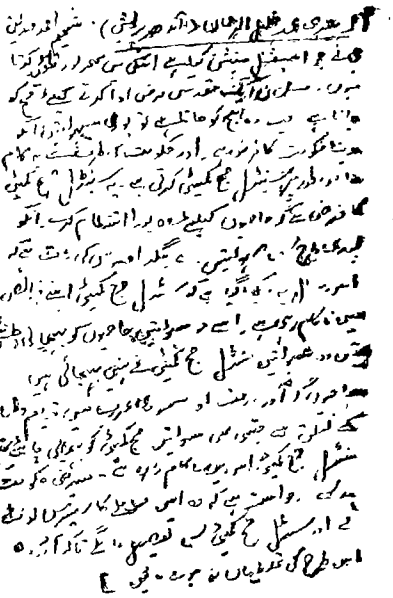

श्री मोहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, शमीम अहमद शमीम जी ने जो कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं, समर्थन करता हूं । हज के लुगत में मायने हैं जियारत का इरादा करना और इस्लामी शरीयत में हज के जमाने में खाना-ए-काबा की जियारत करना और मैदान अराफात में हाजरी देना इसको हज कहते हैं । जैसे नमाज, रोजा और जकात फर्ज है उसी तरह हर मुसलमान आजाद और आकिल बालिक तन्दरूस्त पर जिन्दगी में एक बार हज करना फर्ज है जो मक्के तक आने जाने की कुदरत रखता हो । कुरान मजीद के चौथे पारे में इरशादे खुदाबन्दी है :—व लिल्लाहे अलन नासे हिज्जुल बैते मनिस तताह ऐलैहे सबीला । अल्लाह की तरफ से लोगों पर खाना-ए-काबा का हज फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की इस्तंताअत रखे । इसी तरह हदीस शरीफ की किताब मुसनदे अहमद में इरशादे नब्बी है "हज सारी जिन्दगी में एक बार फर्ज है और जो शख्स इससे ज्यादा करे वह नफिल है " लिहाजा अगर कोई शख्स

कुदरत के बावजूद हज नहीं करता तो वह मुसलमान होने को अपने अमल से झुठलाता है।

हदीस की किताब अबू दाऊद शरीफ में इरशादे नबवी है, "जो शख्स बिला उजर शरई हज और निकाह न करे वह मुसलमान नहीं है" (**समय की घन्टी**) महोदया, मेरी बात को एक मिनट के लिये सुन लें। जिस तरह हज फरजियत अहमियत है उसी तरह हाजी की बहुत ही बड़ी अहमियत है इससे दुआ मिलती है। हदीस की किताब मुसनदे बज्जार में इरशाते नबवी है "हाजी की मगफिरत कर दी जाती है और जिसके लिये वह मगफिरत तलब करे उसकी भी मगफिरत कर दी जाती है" ;

कुरान पाक में हाजियों को हिदायत है:— फमन फरज की हिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाला फिल हज्ज।

जिसका तरजुमा यह है कि जो शख्स हज का इन महीनों में फैसला करे उसको चाहिये कि उस पूरी मुद्दत में शहवानी बात न करे, न ही कोई बुरा काम करे और न लड़ाई झगड़ा करे।

इस साल हाजियों को बेहद परेशानी हुई है मसलन परवाजों के प्रोग्राम दरहब-बरहम होना, सेंट्रल हज कमेटी का कागजात की तकमील न करना, किराये में अचानक इजाफा हो जाना सऊदी अरब में हाजियों के कयाम के लिये मकान के किराये के लिये 750 रियाल लगभग ढाई हजार रुपये जबरन वसूल करना और बहुत सारी बातें हैं। इसकी तमाम जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष सेंट्रल हज कमेटी, बम्बई के जिम्मेदारों पर, दिल्ली हज कमेटी, सदर और इसके सारे जिम्मेदारों पर और यू० पी० हज कमेटी के सदर और उनके सारे जिम्मेदारों पर आती है। मेरा आपसे मुतालबा है इस हाऊस के ज़रिये कि सारी कमेटीज़ को तुरन्त डिज़ाल्व कर दिया जाए। सेंट्रल हज कमेटी, बम्बई, दिल्ली और यू०पी० हज कमेटीज़ को डिज़ाल्व कर के एक नयी कमेटी बनाई जाए जो हज के बारे में जानते हों उनको उस में रखा जाए। मैं यह बात खुल कर कह सकता हूं कि इस अहम फरिज़ा-ए-खिदमत नाकिसातुल अक़लेवदीन की सरबराही में कयामत तक पाया-ए-तकमील को नहीं पहुंच सकता। हदीस की किताब बुखारी शरीफ सफा 637 और सफा 1053 पर लन पुफ़लिहा कौमुन वल्लव अमरहुम इमरातन जो लिखा है उसका मतलब यह है कि कयामत तक वो लोग कामयाबी का मुंह नहीं देख सकते जिसके दीनी काम औरत की सरबराही में हो रहे हों। हासिल यह है कि औरत दीनी उमर की जिम्मेदारी की अहल नहीं है। इसी तरह एक हदीस में इरशादे नबवी है जब जिम्मेदारी नाअहिल के हवाले कर दी जावे तो कयामत का इंतजार करो।

इसलिए मेरा मुतालबा है कि हाजियों को राहत मिले और उसकी सरबराही और जिम्मेदारी किसी मर्द जो हाजी हो और दीनदार हो के सुपुर्द की जावे ताकि आइंदा साल हुजाजकाम को राहत मिले और वो खाना-ए-काबा के खिलाफ़ को पकड़ कर हज़रत इब्राहीम की तरह अपने और अपने मुल्क के लिए दुआ करें।

रब्बिज अल हाजां बलादन आमिनव वरजुक अटलुहू मिनस्समरात, यानी ए मेरे रब इस मुल्क को और मेरे मुल्क व शहर और पुरअमन शहर बना दे और इसके बाशिदों को फल-फूल से मालामाल कर दे। इन अल्फाज़ के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हज और ओकाफ़ के लिए एक इडीपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दे और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो औकाफ़ और हज के बारे में जानकार हों। मैं एक बात कह कर खत्म करना चाहता हूं मैडम, पांच हजार से ज्यादा दिल्ली से यू०पी० से हाजियो को हज करने के लिए यहां आना पड़ा और बहुत मुसीबतें उनको यहां उठानी पड़ीं. उनसे जबरन 750 रियाल लिया गया, उनके रहने के लिए नाकिस इंतजाम रहा और घुटने-घटने पानी में उनको रहना पड़ा और इस प्रकार 10 दिन तक उन्हें परेशान होना पड़ा। यहां के दिल्ली हज कमेटी के लोग और सैन्ट्रल हज कमेटी के लोग उन्होंने कहा कि हवाई जहाज नहीं आया और मैं 17-7-88 तारीख को हवाई अड्डा गया तथा सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से मिला और दूसरे लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि तीन हवाई जहाज खड़े हुए हैं। मैंने वहां इंतजाम करवाया दिल्ली हज कमेटी के लोग सब भाग गए थे हज कमेटी के लोग जो कि जिम्मेदार थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तुरन्त बर्खास्त किया जाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने हरदिल अज़ीज़ वजीरे आज़म का जिन्होंने पानी के जहाज शिप से हाजियों को भेजा और जिन लोगो ने अभी 18 तारीख को हमारे शिवराज पाटिल जी ने, नरसिंह राव जी ने, मोहसिना किदवई जी ने और जेड० आर० अंसारी जी ने उन्होंने सऊदी अरब से परमिशन लिया और यहां से हाजी लोग गए। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही होगी।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

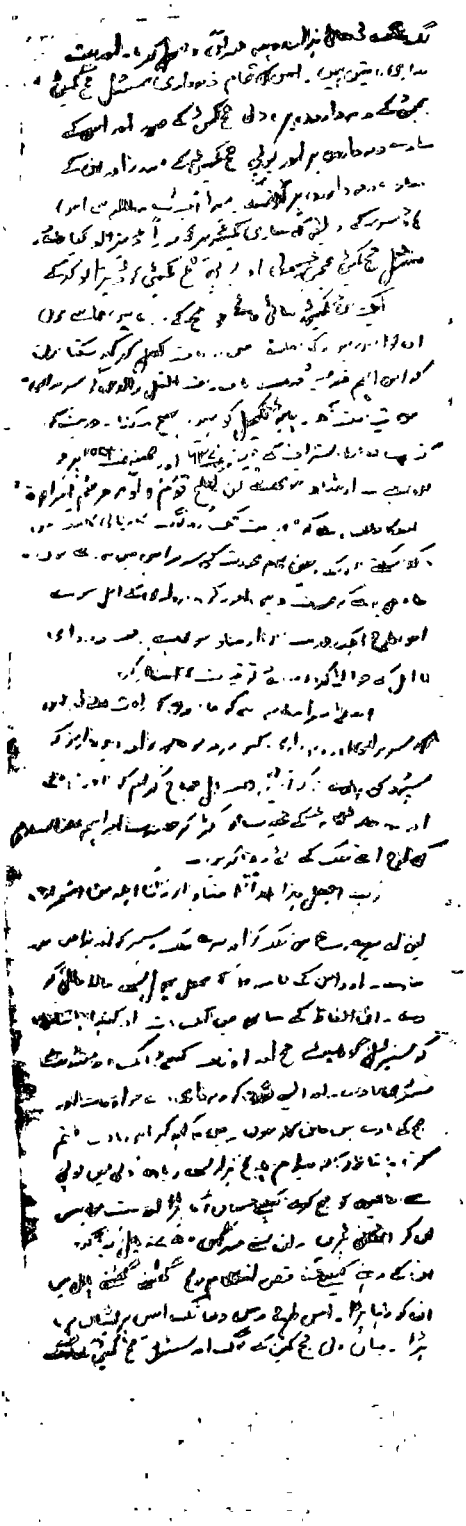

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

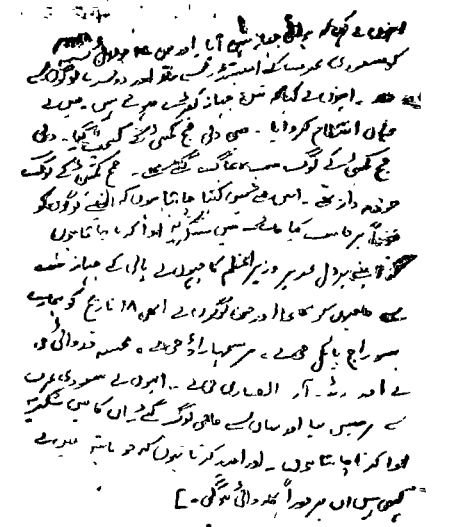

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : माननीया उप सभापति महोदया, जो माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब ने विशेष उल्लेख रखा है मैं भी अपने आपको उससे जोड़ता हूं और यह जो हज के मामले में इस तरह की अव्यवस्था फैली है यह एतिहासिक अव्यवस्था थी और इस बात को ले करके हिन्दुस्तान के अकलियती तबके में जिन-जिन परिवारों के लोग मिलने के लिये हज करने गये थे वास्तव में वे बेहद परेशान रहे कि क्या हो रहा है बम्बई जाने के बाद जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे है तो हकीकत में यह बहुत ही परेशानी की बात थी। इसलिये मेरा मुतालबा है कि भविष्य में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि हज यात्रियों को जाने के लिये सहूलियत रहे और उनके जाने की व्यवस्था सही ढंग से की जाय और साथ ही इसके लिये जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी जांच करके उनको सजा दी जाय तथा आने वाले वक्त के लिये अच्छी कमेटियां और अच्छे लोगों को मुकर्रर किया जाय।

Helicopted crash near Vaishno Devi Temple in Jammu and Kashmir

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीया उप सभापति जी, विशेष उल्लेख के माध्यम से 14 जुलाई को वैष्णों देवी जम्मू-कश्मीर में जो हेलीकाप्टर की दुर्घटना हुई है उस ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 14 जुलाई को जम्मू और कटरा से पवन हंस हेलीकाप्टर ने तीन उड़ान भरीं। दो उड़ान तो ठीक ठाक थी, लेकिन तीसरी